291

न्यायालय श्रीमान् राजस्व मंडल ग्वालियर केम्प सागर म.प्र.

R 4080 I-16

रामप्रसाद सिंह तनय लोकनाथ सिंह
निवासी सागर रोड, छतरपुर तह. छतरपुर
जिला छतरपुर .....निगरानीकर्ता

विरूद्व

म.प्र.शासन .....अनावेदक

निगरानी अंतर्गत धारा 50 म.प्र.भू राजस्व संहिता 1959

उपरोक्त नामांकित निगरानीकर्ता न्यायालय श्रीमान् तहसीलदार छतरपुर द्वारा प्रकरण क्रमांक /बी–121/14–15 पारित आदेश दिनांक 19/10/16 से दुखित होकर निम्न आधारों सहित अन्य आधारों पर अपनी यह निगरानी श्रीमान् के समक्ष प्रस्तुत कर रहा है :–

1. यह कि, प्रकरण के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि शिकायतकर्ता द्वारा की गयी शिकायत एंव माननीय उच्च न्यायालय की रिट याचिका क्रमांक 5075/15, 18156/15, एंव 19040/15 में पारित आदेश के आधार पर मौजा बगौता स्थित भूमि खसरा क्रमांक 574/1, 588/5/1, 590, 591/1, 592/2, 595/1, 596/1, एंव 600/1/क की भूमियों पर स्थगन जारी कर निर्माण कार्य व अंतरण पर रोक लगाए जाने का आदेश पारित किया गया है जिससे परिवेदित होकर आवेदक की यह निगरानी सशक्त आधारों पर श्रीमान् के समक्ष प्रस्तुत है।

2. यह कि, तहसीलदार छतरपुर द्वारा विधि के प्रावधानों व प्रकरण में निहित परिस्थितियों का विपरीत तरीके से उपयोग करते हुए विधि विपरीत आदेश पारित कर विधि विपरीत कार्यवाही की जा रही है जो कि कानूनन स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है।

3. यह कि, भूमि खसरा क्रमांक 590, 591/1, एंव 592/2 आवेदक की भूमियां है। तथा माननीय उच्च न्यायालय द्वारा रिट याचिका क्रमांक 5075/15, 18156/15, 19040/15 एंव 19156/15 में आवेदक की उक्त भूमियां शामिल नहीं है और ना ही माननीय उच्च न्यायालय में प्रस्तुत उक्त रिट याचिका में उक्त वादग्रस्त

राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश – ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक 4080–एक/2016 निगरानी जिला छतरपुर

स्थान तथा दिनॉक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एंव अभिभाषकों आदि के हस्ता.
3.1.17	यह निगरानी तहसीलदार छतरपुर व्दारा प्रकरण कमांक बी–121/2014–15 में पारित अंतरिम आदेश दिनॉक 19–10–2016 के विरूद्व मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई हैं 2/ निगरानी की प्रचलनशीलता पर आवेदकगण के अभिभाषक एंव शासन के पैनल लायर के तर्क सुने गये तथा तहसीलदार छतरपुर व्दारा प्रकरण कमांक बी–121/2014–15 में पारित अंतरिम आदेश दिनॉक 19–10–16 का अवलोकन किया गया। निगरानी मेमो के तथ्यों के प्रकाश में तहसीलदार के आदेश दिनांक 10–10–16 के अवलोकन पर पाया गया कि तहसीलदार ने प्रकरण कमांक बी–121/2014–15 में विचारित भूमियों के अंतरण पर एंव निर्माण कार्य पर इसलिये यथास्थिति बनाये रखने के आदेश दिये है क्योंकि इन्हीं भूमियों के सम्बन्ध में माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर में P.I.L. कमांक 5775/2015, 18156/2015, 19040/2015 प्रचलित है एंव अवमानना याचिका कमांक 1659/2016 भी विचाराधीन है जिसमें मध्य प्रदेश शासन पक्षकार है। यह सही है कि मौके पर वाद विचारित भूमियों की स्थिति में परिवर्तन होता है, शासन की जिम्मेदारी है कि वाद विचारित भूमि माननीय उच्च न्यायालय से	

प्रकरणों के निराकरण तक यथास्थिति में बनी रहे। ऐसी स्थिति में तहसीलदार व्दारा पारित अंतरिम आदेश दिनांक 19-10-16 में किसी प्रकार की त्रृटि नहीं है जिसके कारण तहसीलदार का अंतरित आदेश दिनांक 19-10-16 हस्तक्षेप योग्य नहीं है।

3/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी सारहीन पाये जाने से इसी-स्तर पर समाप्त की जाती है।

सदस्य